

केली देवी खनाम रामपाल

सा. पत्र - 251 A

दिनांक आवा
या कार्यावाही

आवा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

21/3/21

पत्रावली नं. 14/10/21
पत्रावली नं. 14/10/21
आवा नं. 14/10/21
को बताने

2/8/21

पत्रावली नं. 14/10/21
पत्रावली नं. 14/10/21
आवा नं. 14/10/21
को बताने

21/10/21

पत्रावली आज प्रशासन गांवों के सहा अतिथान
2021 के महसुल कैम्प आवेजमें पेश हुई। प्राय
केली देवी एवं रामस्वरूप स्वयं उपस्थित जिनको
पहचान करके ग्राम पंचायत आवेज के द्वारा
के अर्ह। प्रायशः का प्रायशः फा अर 251 A
पर सुना गया एवं महसुलदार वस्सी से प्राप्त
रिपोर्ट का अवलोकन किया गया पत्रावली का
अवलोकन एवं प्रायशः का प्रायशः फा पर सुनि
एवं महसुलदार वस्सी की रिपोर्ट का अवलोकन
करने के पश्चात प्रायशः द्वारा अप्राची का
सूची नं 257/247 रकबा 0.4299 है
मे से 16 बीर लम्बा 8 बीर चौड़ा कुल 128
वर्गमीटर जमीन आने के लिए रास्ता की
मांग किहू जो महसुलदार वस्सी की रिपोर्ट
अनुसार किया जाना उचित बताया गया है। तथा
संख्या नम्बर 956/247 मे आने के लिए
कोई अन्य सरकारी रास्ता नहीं है व. न. 266 सरकारी
रास्ता अप्राची स्वतंत्र रामपाल के संख्या नं 247/257
मक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है उपरोक्त विवरण
के आधार पर प्रायशः का प्रायशः फा अर्ह
द्वारा 251 A आर.सी. एकर (कार किया
जाकर महसुलदार वस्सी की अधिका हीर जाते है

[Handwritten signature]
केली

रामपाल
वस्सी

[Handwritten signature]
रामपाल अधिकारी
वस्सी (जिला जयपुर)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>कि प्राचीनता की वादग्रस्त भूमि खसरा नं० 956/247 रकबा 0.9918 (खेत ग्राम जयवाडा महसूल वस्सी में) और जने हेतु अप्राची की भूमि खसरा संख्या 957/247 रकबा 0.4299 (खेत ग्राम जयवाडा में) से 16 मीटर लम्बा व 8 मीटर चौड़ा कुल 128 वर्गमीटर भूमि और जने के रास्ते के प्रयोग हेतु जी.एल.सी की इगनी राशी अप्राची को नियमनुसार हिलवायी जावे तथा महसूलदार वस्सी को निर्देश दिए जाते हैं कि सार्वजनिक प्रयोग हेतु अप्राची की भूमि में से ली गई भूमि का प्राची द्वारा जी.एल.सी की इगनी दर भी राशी का 15 दिवस में जी.डी जमा कराने एवं उकता जी.डी अप्राची द्वारा लिए जाने के पश्चात् ही प्राचीनता को सार्वजनिक प्रयोग हेतु दी गई भूमि का बायलव रिफाईंड में सार्वजनिक प्रयोग हेतु किन्म गैर भूमिजन रास्ता दर्ज किया जावे।</p> <p>उक्ता अनुसार महसूलदार वस्सी पालना हेतु महसूल जारी है।</p> <p>पत्रावली क्रम संख्या 2021/10/20 का स्थिति पर परामर्श के लिए जम्मा 2021 के महसूल के रूप में जयवाडा में सुनाया गया।</p>

उप खण्ड अधिकारी
वस्सी (जिला जयपुर)

दिनांक
या क्र
23

85/19

सशोधित आवेदन

के.डी.डी. नं. 152

रामपाल

विशेष विवरण

दिनांक अज्ञात
या कार्यवाही
23/3/22

पत्रावली आज धारा 152 जाप्ता दिवानी के गेटा पुनः नम्बर पर लिखित पूर्व में आवेदन दिनांक 21/10/2021 के निर्णय अन्तर्गत के प्रकृत सरख्या 1 में उपर से लारन सरख्या 11 में सख्तन से लिखित तुरीय अत्राही की कृष्ण खसरा खसरा 257/247 रकवा 0.4299 हे० लिखा गया था जिसे उद्घाटित किया जाकर खसरा नं 957/247 रकवा 0.4299 पडै जनि के आवेदन दिए जाते हैं। इसी प्रकार उपर से लारन सरख्या 18 में सख्तन से अत्राही खातिवार रामपाल के खसरा नं 0 247/257 लिखा गया था जिसे ~~उद्घाटित~~ धारा 152 जाप्ता दिवानी के गेटा उद्घाटित किया जाकर खसरा नं 0 957/247 पडै जनि के आवेदन दिए जाते हैं। पत्रावली जेलल शुभां होकर वर्ष नम्बर से काम होने पर नोंद खिल फलतार है।

सशोधित आवेदन आज दिनांक 23/3/22 के रकवा नं. रामपाल एवं सरखलास शुभां गया उपरी नता असा लसली लवार वरसी का पाला के

मैजो जायि! ³⁶
उप खण्ड अधिकारी
बस्ती (जिला जयपुर)